

राजस्थान सरकार
निदेशालय कौष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/8200-345

दिनांक - 02.11.2011

कार्यालय आदेश संख्या 174/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रुत्स/2008/दिनांक 12.08.08 एवं दिनांक 08.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पीबी-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम लेखाकार (सर्वो)	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अजय कुमार शर्मा	05.07.1956	30.08.1984	30.08.2011	
2.	अमर सिंह उदावत	05.09.1958	31.08.1984	31.08.2011	
3.	नरोत्तम दास स्वामी	15.05.1957	27.08.1984(AN)	28.08.2011	
4.	प्रकाश चन्द्र कटारिया	03.04.1961	27.08.1984	27.08.2011	
5.	रामनिवास शर्मा	01.12.1957	22.08.1984	22.08.2011	
6.	उत्तम कुमार तिवारी	28.09.1961	30.08.1984	30.08.2011	
7.	अनूप सिंह खूंडा	13.02.1956	28.08.1984	28.08.2011	
8.	आनन्द कुमार जग्गाणी	01.07.1962	27.08.1984	27.08.2011	
9.	बंशीधर सैनी	05.08.1960	27.08.1984	27.08.2011	
10.	ब्रजमोहन चौधरी	21.02.1952	31.08.1984	31.08.2011	
11.	भैरव प्रकाश शर्मा	23.05.1962	22.08.1984	22.08.2011	
12.	ब्रह्म प्रकाश शर्मा	04.06.1953	28.08.1984	28.08.2011	
13.	फकीर मोहम्मद पिनारा	25.06.1957	21.08.1984	21.08.2011	
14.	गोखन श्याम गुप्ता	05.06.1958	22.08.1984	22.08.2011	
15.	गोपाल कृष्ण पुरोहित	01.08.1955	27.08.1984	27.08.2011	
16.	घनश्याम रांवर	30.06.1961	27.08.1984	27.08.2011	
17.	ज्ञानचन्द सिंघल	10.03.1961	21.08.1984	21.08.2011	
18.	हरि सिंह राठोड़	04.07.1954	29.08.1984	29.08.2011	
19.	हर्षवर्धन शर्मा	10.08.1954	18.10.1984	18.10.2011	
20.	किशन लाल सोलंकी	02.07.1955	30.08.1984	30.08.2011	
21.	कन्हैया लाल पाण्डेय	01.02.1958	21.08.1984	21.08.2011	
22.	मोहन लाल गुप्ता	05.02.1955	21.08.1984	21.08.2011	
23.	मोती लाल गुप्ता	07.07.1957	27.08.1984	27.08.2011	
24.	नीरो शर्मा	27.10.1956	29.08.1984	29.08.2011	
25.	ओम प्रकाश शर्मा	19.03.1956	29.08.1984	29.08.2011	
26.	रामावतार मंगल	01.12.1961	05.09.1984	05.09.2011	
27.	रामावतार गुप्ता	19.11.1960	21.08.1984	21.08.2011	
28.	राजेश सिंह निर्वाण	02.05.1956	30.08.1984	30.08.2011	
29.	रविन्द्र कुमार नागर	07.05.1955	22.09.1984	22.09.2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 7 से 29 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्ष की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदर्श दिनांक 08.10.2008 एवं एफ-14(88)/एफ.बी.(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है एवं उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी. /83-III/अलेसे-11/ 3200-325

दिनांक:- 02.11.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-I)